श्री रामगोपाल महेश्वरी स्मृति शिक्षा केंद्र

अपने समाज बन्धु मूलत: व्यापर और उद्योग में कुशलता के लिए पहचाने जाते हैं. पर समय के अंतराल में नई पीढ़ी उद्योग धंधे के साथ साथ शिक्षा की ओर भी आकृष्ट होने लगी है. आज अपने समाज के नव युवक एवं युवतियाँ प्रचूर संख्या में CA, DR'medicene, ENGINEER, MBA जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहें है, जो कि बहुत ही सुखद बात है. आज के परिप्रेक्ष में शिक्षा उस नींव की ईंट की तरह है, जिसे जितना मजबूत बनाया जाएगा उस पर बनी ईमारत भी उतनी ही मजबूत बनेगी.

वर्तमान में उच्च शिक्षा दिन ब दिन मँहगी होती जा रही है, फलस्वरूप समाज के आर्थिक दृष्टी से कमजोर वर्ग के साथ साथ निम्न मध्यम वर्ग भी आर्थिक रूप से असमर्थ एवं जूझता नजर आ रहा है. अत: शिक्षा के महत्व एवं उसके बढ़ते खर्च को देखते हुए महासभा के 23 वें सत्र में तत्कालीन सभापति श्री बंशीलालजी राठी द्वारा सन 2001 में श्री रामगोपाल माहेश्वरी स्मृति शिक्षा केंद्र की सथापना की गई. शिक्षा केंद्र की कायिक निधी (Corpus fund) का लक्ष 3 करोड़ निर्धारित किया गया था, पर ये विडम्बना है कि कायिक निधी करीब 1.28 करोड़ तक ही पहुँच पाई है. अभी तक करीब 299 विद्यर्थियों को लगभग Rs.77.40 लाख रूपए की छात्र वृत्ति प्रदान की जा चुकी है. करीब 65 विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति से प्राप्त सहयोग से सफलता अर्जित कर लगभग 21 लाख रूपए की सहयोग राशी केंद्र को वापस लौटा दी है. समाज बंधुओं से सादर निवेदन है कि समाज की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए आगे आयें एवं केंद्र के कोष को पर्याप्त बनावें ताकि केंद्र अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाए.

<u>योजना एवं लाभार्थी के लिए आवश्यक मर्यादाएं:-</u>

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के शिक्षा पाठ्यक्रम, फ़ीस, विद्यार्थी की आवश्यकता एवं केंद्र के पास उपलब्ध कोष के अधार पर सहायता प्रदान की जाती है. पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक विद्यार्थी को प्रतिवर्ष अपने परीक्षा फल की प्रतिलिपी के साथ पुन: अवेदन करना पड़ता है. जिसके आधार पर सहायता को पुनरावृत कर दिया जाता है. केंद्र लाभार्थी के संपर्क में रहता है एवं उसकी शिक्षा प्रगति की जानकारी लेता रहता है. शिक्षा समापन के 1 वर्ष के बाद लाभार्थी जब स्वयं का व्यवसाय स्थापित रख ले या नौकरी लग जाए तब 2-3 वर्षों की अवधि की आसान किस्तों में सहायता राशी का भुगतान करना रहता है, ताकि अन्य जरूरत मंद विद्यार्थी को सहयोग मिल सके.

इस योजना की निम्नलिखित आवश्यक मर्यादाएँ हैं.

1. आर्थिक रूप से कमजोर महेश्वरी बंधु इस योजना का लाभ ले सकता है.
2. लाभार्थी को केंद्र द्वारा प्रस्तवित आवेदन पत्र को सुपाठ्य अक्षरों में हिंदी अथवा अंग्रेजी में भरना पड़ेगा.

3. छात्र वृत्ति हेतु 2 व्यक्तियों स्थानीय बंधुओं की जमानत की जरूरत पड़ती है. अगर लाभार्थी केंद्र के नियमानुसार छात्र वृत्ति वापस नही करतें हैं तो उस राशी को केंद्र को लौटाने की जवाबदारी जमानत कर्ता की रहती है.
4. जमानतदार के अतिरिक्त आवेदन पत्र को महासभा कार्यकारी मंडल/ कर्यसमिती सदस्य / महिला एवं युवा संगठन के पदाधिकारी की सिफारिस एवं स्थानीय सभा का अनुमोदन आवश्यक है. जिला सभा के अनुमोदन के बाद प्रदेश सभाके अध्यक्ष की सिफारिस तथा अनुमोदन भी आवश्यक है.
5. शिक्षा समापन के 1 वर्ष के बाद लाभार्थी को अधिकतम 2 वर्षों की अवधि की किस्तों में सहायता राशी का भुगतान 4% के सेवा शुल्क के साथ करना पड़ता है.
6. छात्र वृत्ति देने के सम्पूर्ण अधिकार केंद्र अथवा केंद्र द्वारा नियुक्त समिती को होंगे एवं उनका निर्णय अंतिम होगा.
7. ये सहायता केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन ही दी जाएगी. समय समय नए नियम बनाए जा सकते हैं अथवा पुराने नियमों में परिवर्तन किया जा सकते हैं, जिन्हें आवेदक को मानना अनिवार्य है.
8. केद्र द्वारा दी गई सहयोग राशी की जानकारी आवेदक के परिवार के किसी वयस्क एवं जवाबदार व्यक्ति को होनी आवश्यक है, इसीलिए वचन बद्धता के दस्तावेज (Deed of undertaking) पर उनके हस्ताक्षर होने अवश्यक है.
9. केंद्र के उद्देश्यों के अनुरूप सम्पूर्ण जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन पर ही सहायता स्वीकृति समिती विचार करेगी.
10. साधारणत: एक परिवार में एक समय में एक ही आवेदक को यह सहयोग मिल पाएगा.
11. आवेदक के पते में अगर परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना तत्काल केंद्र करनी अनिवार्य है.
12. ये सहयोग 1 सत्र या वर्ष के लिए ही स्वीकृत किया जाता है, जिसे प्रति सत्र या वर्ष परीक्षा फल तथा अंकतालिका की प्रमाणित प्रति भेज कर पुनरावृत कराया जा सकता है.
13. किसी कारणवश अगर लाभार्थी की शिक्षा अधूरी रह जाती है, तो मुहैया कराई गई सम्पूर्ण सहयोग राशी एक मुस्त लौटानी पड़ेगी.
14. उपरोक्त सहायता संबंधित सभी विवाद समाधान हेतु चेन्नई न्यायालय के अंतर्गत ही मान्य रहेंगे.
15. शिक्षा समाप्ति के बाद रोजगार प्रारम्भ या नौकरी शुरू करने की सूचना अविलम्ब ट्रस्ट कार्यालय में भेजना अनिवार्य है.

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-

1. साफ साफ अक्षरों में भरा हुआ आवेदन पत्र (आवेदन पत्र महासभा की web site से भी डाउनलोड किया जा सकता है.)

2. आवेदन पत्र में स्थानीय सभा के अध्यक्ष/मंत्री द्वारा मय रबर स्टाम्प अनुमोदन, जिला सभा, प्रदेश सभा, ट्रस्ट अथवा इस ट्रस्ट के किसी न्यासी द्वारा मय रबर स्टांप अनुमोदन आवश्यक है.
3. सरकारी मान्यता पात्र कोई भी फोटो ID की प्रमाणित नक़ल
4. लाभार्थी के बैंक अकाउंट की विस्तृत जानकारी (बैंक का नाम एवं शाखा, पूरा पता, IFSC code, चेक के पन्ने की नक़ल)
5. उसके स्थाई व अस्थाई पते को प्रमाणित करता कोई सरकारी मान्यता पात्र दस्तावेज की प्रमाणित नक़ल
6. आवेदक परिवार के नाम से कोई चल अचल संपत्ती हो तो उसके दस्तावेजों की प्रमाणित नक़ल
7. माध्यमिक एवं उच्चमाध्यमिक परीक्षाओं की अंक तालिका/प्रमाण पत्र.
8. स्नातक हों तो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिका/प्रमाण पत्र.
9. अगर डिप्लोमा धारक हों तो सत्र/वर्ष मुताबिक अंकतालिका/प्रमाण पत्र.
10. CAT/MAT/RMAT या मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की अंक तालिका/प्रमाणपत्र

आवश्यक संपर्क सूत्र:-

1. क्षेत्र, जिला एवं प्रदेश अध्यक्ष
2. सहयोग केंद्र के ट्रस्टी/सदस्य, महासभा के कार्य समिती/कार्यकारी मंडल के सदस्य, प्रदेश सभा के अध्यक्ष, महिला संगठन एवं युवा संगठन के पदाधिकारी
3. महासभा के सभापति/मंत्री कार्यालय

<u>कार्यालय का पता</u>

श्री रामगोपाल माहेश्वरी स्मृति शिक्षा केंद्र, 4, रामानन रोड, चेन्नई 600 079(तमिलनाडु)

फोन: 044-25299052-53;43599052, Email: rgmkendrachennai@gmail.com

PS: ये सूचनाएँ योजना की संक्षिप्त जानकारी हेतु सारांश के तौर पर प्रकाशित है. विस्तृत जानकरी आवेदन पत्र के साथ एवं ट्रस्ट के कार्यालय पर उपलब्ध है; व्हावाहरिक तौर पर ट्रस्ट का विधान एवं नियमावली तथा व्यवस्थापकों का निर्णय अंतिम रूप से मान्य रहेगा.